भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4290

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

बांधों का निर्माण

4290. श्री गौतम गंभीर:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में जल की कमी की समस्या का समाधन करने हेतु हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में रेणुका, किशाऊ और लखवार-व्यासी नदियों में बांधों का निर्माण करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त बांधों का निर्माण कार्य कुछ वर्षों से लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में रेणुका, किशाऊ और लखवार व्यासी परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा 2008 में पर्यावरण और पेयजल के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित की गई हैं। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के साथ शेष हैं। राज्यों को इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए विभिन्न अनुमोदन जैसे कि सांविधिक मंजूरी, सिंचाई पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदन, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल शक्ति मंत्रालय, निवेश मंजूरी आदि से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

उत्तराखंड सरकार ने लखवार बांध से स्वतंत्र व्यास महा परियोजना को लेने का फैसला किया है। लखवार परियोजना का संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) को 5747.17 करोड़ रूपए (मूल्य स्तर: 2018) को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर दिनांक 11.02.2019 को आयोजित अपनी 141वीं बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की परामर्श समिति द्वारा स्वीकार किया गया। हालांकि, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) (प्रधान बैंच) ने 10.01.2019 के फैसले में ईआईए अधिसूचना, 2006 की शर्तों के अधीन लखवार परियोजना का नए सिरे से मूल्यांकन करने के लिए एमओई एवं सीसी की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) को निर्देश दिए तथा अतिरिक्त सामान्य एवं विशेष शर्तों को लागू करने के लिए अनिवार्य किया। एनजीटी ने परियोजना का फिर से मूल्यांकन करने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

रेणुकाजी बांध परियोजना का आरसीई (मूल्य स्तर: 2018) परियोजना अधिकारियों द्वारा केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को प्रस्तुत किया गया है और जो मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में है। किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) परियोजना प्राधिकरणों द्वारा वर्ष 2010 में सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत की गई थी और कुछ विशेष टिप्पणियों को उन्हें सूचित किया गया था। हालांकि, परियोजना अधिकारियों ने अनुपालना नहीं भेजी। बाद में, परियोजना अधिकारियों को अद्यतन डीपीआर भेजने का अनुरोध किया गया था जो उनके द्वारा भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

*****